भारत में बाल श्रम

यह एडिटोरियल दिनांक 02/06/2021 को 'द हिंदू' में प्रकाशित लेख “Breaking the cycle of child labour is in India’s hands” पर आधारित है। इसमें भारत में बाल श्रम की स्थिति पर चर्चा की गई है।

संदर्भ

कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चों को मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे वर्ष लॉकडाउन ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे बाल श्रम को समाप्त करने की सारी कोशिशें कमज़ोर पड़ने लगी।

- बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वास्तविक सीमा को मापा जाना बाकी है, लेकिन ये तय है कि इसका दुष्प्रभाव बहुत व्यापक है।
- हालाँकि बाल श्रम में बढ़ावा देने वाले सभी कारक महामारी जनित नहीं है; उनमें से अधिकांश पहले से मौजूद थे लेकिन इसके द्वारा उजागर किये गए हैं। हालाँकि महामारी ने अपने योगदान करने वाले कारकों को बढ़ाया है, नीति और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप बच्चों को बचा सकते हैं।

भारत में बाल श्रम की स्थिति

- बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है। नियमित स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, और यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है।
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के 10.1 मिलियन बच्चें कार्यरत है, जिनमें से 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक (23%) और खेतिहर मजदूरों (32.9%) के रूप में कार्यरत हैं।

बाल श्रम के कई दुष्प्रभाव हैं:

- रोग जैसे त्वचा रोग, फेफड़ों के रोग, कमज़ोर दृष्टि, टीबी आदि के अनुबंध के जोखिम।
- कार्यस्थल पर यौन शोषण की सुभेद्यता।
- शिक्षा से वंचित होना।
- वे विकास के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं और अपने शेष जीवन अकुशल श्रमिकों के रूप में निकालते हैं।

बाल श्रम: संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है।
- अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 39 के अनुसार "पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है"।
- इसी तरह बाल श्रम अधिनियम (निषेध और विनियमन), 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है।
- मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिये गारंटीशुदा मज़दूरी रोज़गार (अकुशल मज़दूरों हेतु) के साथ-साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- इसके अलावा वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ, भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

बाल श्रम से जुड़े मुद्दे

- **कारण-प्रभाव संबंध:** बाल श्रम और शोषण कई कारकों का परिणाम है, जिसमें गरीबी, सामाजिक मानदंड उन्हें माफ करना, वयस्कों और किशोरों के लिये अच्छे काम के अवसरों की कमी, प्रवास और आपात स्थिति शामिल हैं। ये कारक सामाजिक असमानताओं के न केवल कारण हैं बल्कि भेदभाव प्रेरित परिणाम भी हैं।
- **राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये खतरा:** बाल श्रम, शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूलों तक पहुँच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये नकारात्मक साबित हो रही है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम:** हालाँकि बाल श्रम कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, भारत भर में बाल मजदूर विभिन्न अनौपचारिक उद्योगों जैसे- ईंट भट्टों, कालीन बुनाई, परिधान निर्माण, कृषि, मत्स्य पालन आदि में कार्यरत हैं।
- **प्रच्छन्न बाल श्रम:** पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम की दर में गिरावट के बावजूद, बच्चों को अभी भी घरेलू मदद जैसे कार्यों में प्रच्छन्न रूप से बाल श्रम के इस्तेमाल किया जा रहा है।
    - बाल श्रम तात्कालिक रूप से खतरनाक प्रतीत नहीं हो सकता है लेकिन यह उनकी शिक्षा, उनके कौशल अधिग्रहण के लिये दीर्घकालिक और विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है।
    - इसलिये उनकी भविष्य की संभावनाएँ गरीबी, अधूरी शिक्षा और खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों के दुष्चक्र को दूर करने के लिये हैं।
- **बाल तस्करी:** बाल तस्करी को बाल श्रम से जोड़ा जाता है और इसके परिणामस्वरूप हमेशा बाल शोषण होता है।
    - तस्करी किये हुए बच्चों को वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्यों के लिये मजबूर किया जाता है या अवैध रूप से गोद लिया जाता है; वे सस्ते या अवैतनिक श्रम प्रदान करते हैं, उन्हें गृह सेवक या भिखारी के रूप में काम करने के लिये मजबूर किया जाता है और उन्हें सशस्त्र समूहों में भर्ती किया जा सकता है।

आगे की राह

- **पंचायत की भूमिका:** चूंकि भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। पंचायत बाल श्रम को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में पंचायत को चाहिये:
    - बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
    - माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करें।
    - ऐसा माहौल बनाएँ जहाँ बच्चों को काम ना करना पड़े और वे इसके बजाय स्कूलों में दाखिला लें।
    - सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
    - बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के बारे में उद्योग के मालिकों को सूचित करें।
    - गाँव में बालवाड़ी और आंगनबाड़ियों को सक्रिय करें ताकि कामकाजी माताएँ छोटे बच्चों की ज़िम्मेदारी उनके बड़े भाई-बहनों पर न छोड़ें।
    - स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिये ग्राम शिक्षा समितियों (वीईसी) को प्रेरित करना।
- **एकीकृत दृष्टिकोण:** बाल श्रम और शोषण के अन्य रूपों को एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से रोका जा सकता है जो बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ गरीबी और असमानता को संबोधित करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करते हैं और बच्चों के अधिकारों के लिये सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं।
- **बच्चों को सक्रिय हितधारक के रूप में समझना:** बच्चों के पास बाल श्रम को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति है। वे बाल संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकते हैं कि वे अपनी भागीदारी को कैसे समझते हैं और सरकार और अन्य हितधारकों से वे क्या अपेक्षा करते हैं।

निष्कर्ष

बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये बने होते हैं, कार्यस्थलों में कार्य करने के लिये नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है और गरीबी को पीढ़ीगत बनाती है। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है।

अभ्यास प्रश्न: बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है एवं गरीबी के पीढ़ीगत बनाता है। चर्चा कीजिये।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/child-labour-in-india